सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 26, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 15, 2024 *Magha 26 Thursday , Saka 1945- February 15 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 06, 2024

जी.एस.आर.155 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 01.01.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012 से संलग्न अनुसूची-**II** में विद्यमान शर्त 1 और 2 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. वेतनमान.- अनुसूची-**I** में उल्लिखित पद पर नियुक्त होने पर अधिकारी/ पदधारी वही वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थापन्न हैसियत में) के ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित कर रहा था/रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2. विशेष भत्ता.- इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को प्रकोष्ठ में उनकी सेवावधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित मूल वेतन के 7% की दर से विशेष भत्ता संदत्त किया जायेगा। विशेष भत्ता प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों को संदत्त नहीं किया जायेगा।**"**

[सं. एफ 5(1)डीओपी/ए-।।/2012]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 06, 2024

G.S.R.155 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Engineering Cell) Rules, 2012, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Engineering Cell) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2017.

2.Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Engineering Cell) Rules, 2012, the existing condition 1 and 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"1. **Scale of Pay.-** On appointment to the post mentioned in Schedule-I, the Officer/ Official shall draw the same pay, which he / she was drawing immediately before appointment in the cell (in the substantive or officiating capacity) in the Pay Level in the Pay Matrix under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 prescribed for the existing post. The next date of increment shall remain unchanged.

2**. Special Allowance.-** Persons so appointed shall be paid Special Allowance at the rate of 7% of the basic pay drawn in the Pay Level in the Pay Matrix under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 during their tenure in the Cell. The Special Allowance shall not be paid to the officers taken on deputation."

[No. F. 5(1)DOP/A-II/2012]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.